GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Information Technology & Communication

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

कार्यालय ... विभाग

शासन ..., जयपुर

Ref.No.:- F11(135)/DoIT/Project/12/ SPl - 1 Date : 6/10/2014

परिपत्र 215 10 OCT 2014

विषय :– **ई–मित्र मे उपलब्ध संसाधनों का सभी ई–गवर्नेस सेवाओं में उपयोग करने हेतु।**

राज्य सरकार की मंशा के अनुसार राज्य के सभी भारत निमार्ण सेवा केन्द्रों में ई–मित्र कियोस्को को स्थापित किया जाना है। वर्तमान में सभी 249 पंचायत समितियों में स्थित भारत निमार्ण सेवा केन्द्रों में ई–मित्र कियोस्क स्थापित किये जा चूके है तथा आगे 9117 ग्राम पचांयतो में स्थित भारत निमार्ण सेवा केन्द्रों में भी ई–मित्र कियोस्क स्थापित किये जा रहे है। वर्तमान में 9414 ई–मित्र कियोस्क सम्पूर्ण राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में स्थापित है। राज्य सरकार की मंशा अनुसार कम से कम एक ई–मित्र कियोस्क प्रत्येक ग्राम पंचायत अर्थात 15000 से 20000 कियोस्क शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

विभिन्न विभागों की लगभग 85 से अधिक सेवाऐ इन ई–मित्र कियोस्को के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। जिनमें मुख्यतयः नामान्तरण हेतु आवेदन, प्रमाण पत्रों (मूल निवास, जाति, हैसियत इत्यादी) हेतु आवेदन, डिजिटल हस्ताक्षरित जमाबन्दी, पंचायती राज्य विभाग के आवासीय पट्टे जिन्हे तहसील, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित तथा स्वीकृत किया जाता है। यह प्रकाश में आया है कि विभिन्न विभागों के कुछ पंचायत समिति / पंचायत स्तरीय क्षेत्रिय कार्यालयों पर कम्प्यूटर एवं तत्सम्बन्धित उपकरण तथा इन्टरनेट कनेक्टीविटी का उपलब्ध ना होना सेवाऐं प्रदान किये जाने में बाधा है।

जैसा कि आपको विदित है सरकार द्वारा ई–मित्र कियोस्को के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही सरकारी सेवाओं के लिए दरे निर्धारण करने हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया हुआ है, जिसमे दरे निर्धारित करते समय समिति द्वारा यह भी प्रकल्पित किया जाता कि जहॉ कम्प्यूटर एवं तत्सम्बन्धित उपकरण तथा इटरनेट कनेक्टीविटी का अभाव है वहॉ इन ई–मित्र कियोस्को का राजकीय कर्मियों द्वारा ई–मित्र पर उपलब्ध सेवाओं से सम्बन्धित प्रमाणीकरण आदि कार्य करने हेतु उपयोग किया जावेगा।

अतः सभी विभागों से अपेक्षित है कि समस्त सम्बन्धित कार्मिकों को ई–मित्र कियोस्क पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने की सलाह दें ताकि आमजन को विभिन्न सरकारी सेवाऐं समयबद्ध रूप से प्रदान की जा सकें। इस हेतु विभाग द्वारा ई–मित्र कियोस्कधारक को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नही है।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव

Ref.No.:- F11(135)/DoIT/Project/12 Date :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, अजमेर।
4. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राजस्थान।
5. सभी संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. सभी कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी, राजस्थान।